

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2026 का विधेयक संख्या-17 एच०एल०ए०

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की अनुसूची में, क्रम संख्या 27 तथा 2006 के हरियाणा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा उनके सामने प्रविष्टियां जोड़ी अधिनियम 32 की जाएंगी, अर्थात्:- अनुसूची का संशोधन।

"28. कुसुम अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय,

जिला रेवाड़ी

29. मास्टर्स यूनिन विश्वविद्यालय,

जिला गुरुग्राम"।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

राज्य के युवाओं को उच्चतर शिक्षा में बेहतर अवसर प्रदान करने हेतु शैक्षणिक संस्थाओं की संरचना और विस्तार की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों की अप्रत्याशित वृद्धि को समायोजित करने की व्यवस्था में और 50% सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसार प्राप्त करने के लिए भी हमें सभी स्तरों पर वर्ष 2030 तक संस्थाओं की संख्या में मोटे तौर पर दोहरी वृद्धि करने की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं होगा। हमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रमुख रूप में शामिल करने की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा और इसके मानकों के पैमाने की क्षमता का विस्तार करने में सरकार की पहल के अनुपूरक में हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 को अनिवार्य रूप से लाया गया है।

इसके अतिरिक्त अधिनियम में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जिला रेवाड़ी में कुसुम अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय व जिला गुरुग्राम में मास्टर्स यूनिजन विश्वविद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव का प्रतिपादन किया गया है।

अतः बिल प्रस्तुत है।

महीपाल ढांडा,
उच्चतर शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 26 अगस्त, 2026

डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया, भा.प्र.से.,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 26 अगस्त, 2026 के हरियाणा गवर्नमेंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 से उद्धरण

अनुसूची

(देखिए धारा 6)

6. सरकार, धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यदि इस बात से संतुष्ट हो कि प्रायोजक निकाय ने धारा 5 की उप-धारा (1) के उपबंधों का अनुपालन कर दिया है, तो राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे नाम, स्थान, अधिकारिता तथा ऐसी अवसंरचना के साथ एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकती है।

विश्वविद्यालय की स्थापना।

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	स्थान
1	ओ.पी. जिन्दल ग्लोबल विश्वविद्यालय (डीम्ड विश्वविद्यालय) यूजीसी के तहत अधिसूचना संख्या 11/2020 के तहत, 2020 की हरियाणा अधिनियम संख्या 10 दिनांक 04.05.2020	जिला सोनीपत
2	द नॉर्थकैप विश्वविद्यालय	जिला गुड़गांव
3	एमिटी विश्वविद्यालय	गांव ग्वालियर, पचंगांव (नजदीक मानेसर) जिला गुड़गांव
4	एपीजे सत्य विश्वविद्यालय	जिला गुड़गांव
5	महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय	जिला अम्बाला
6	एनआईआईएलएम विश्वविद्यालय	जिला कैथल
7	बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय	जिला रोहतक
8	एम0वी0एन0 विश्वविद्यालय	जिला पलवल
9	सुशांत विश्वविद्यालय	जिला गुरुग्राम
10	श्री गुरु गोविन्द सिंह त्रि-शताब्दी विश्वविद्यालय	जिला गुड़गांव
11	जगन नाथ विश्वविद्यालय	बहादुरगढ़ (हरियाणा)

12	जी0 डी0 गोयन्का विश्वविद्यालय	सोहना रोड गुडगांव
13	के0 आर0 मंगलम विश्वविद्यालय	सोहना रोड गुडगांव
14	एस0 आर0 एम0 विश्वविद्यालय	सोनीपत (हरियाणा)
15	अशोका विश्वविद्यालय	जिला सोनीपत
16	अल-फलाह विश्वविद्यालय	जिला फरीदाबाद
17	बी0 एम0 एल0 मुंजाल विश्वविद्यालय	जिला गुडगांव
18	मानव रचना विश्वविद्यालय	जिला फरीदाबाद
19	पी0डी0एम0 विश्वविद्यालय	जिला झज्जर
20	स्टारैक्स विश्वविद्यालय	जिला गुडगांव
21	विश्व डिजाइन विश्वविद्यालय	सोनीपत
22	आई0आई0एल0एम0 विश्वविद्यालय	गुरुग्राम
23	ओम स्ट्रलिंग ग्लोबल विश्वविद्यालय	हिसार
24	ऋषिहुड विश्वविद्यालय	जिला सोनीपत
25	गीता विश्वविद्यालय	जिला पानीपत
26	संस्कारम विश्वविद्यालय	जिला झज्जर
27	डिजाइन, नवाचार और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	जिला गुरुग्राम